

(162) 12

**झारखण्ड सरकार**  
**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।**

**अधिसूचना**

अधिसूचना संख्या- 7/झा.स.प.-17-014/2003 का 363/अपात्र व्यक्तियों को अनुसूचित जाति/जन जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत करने पर रोक लगाने के माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा कुमारी माधुरी पाटिल एवं अन्य बनाम अतिरिक्त आयुक्त, जन जातीय विकास परिषद एस.एल.पी. (सिविल) सं.-1476703/93 के मामले में पारित निर्णयादेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा निम्नरूपेण छान-बीन समिति (Scrutiny Committee) का गठन किया जाता है :-

- |  |            |
|--|------------|
| 1. आयुक्त एवं सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग या कल्याण विभाग, जो वरीय हो।  | अध्यक्ष    |
| 2. आदिवासी कल्याण आयुक्त जो सम्प्रति अनुसूचित जाति का भी कार्य देखते हैं।  | सदस्य सचिव |
| 3. राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/जन जाति में विशेषज्ञता रखने वाले श्री करमा उरांव प्रमुख मानव विज्ञान शास्त्र, रांची विश्वविद्यालय, रांची। | सदस्य      |
| 4. प्रबन्ध निदेशक, अनुसूचित जन जाति सहकारिता विकास निगम।   | सदस्य      |

**समिति का कार्यक्षेत्र**

1. ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें प्राधिकृत अधिकारियों को अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग के प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत आवेदन में वर्णित जाति और उस जाति के लिये अधिसूचित स्थान के बारे में ऐसा प्रश्न निहित है, जिसका विनिश्चय उच्च स्तर पर किया जाना हो और जो उनके द्वारा उच्च स्तरीय समिति को निर्देशित किये गये हों।

2. ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति/जन जाति प्रमाण-पत्र आवेदन निरस्त करने के आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई हो।

3. ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें प्राधिकृत अधिकारी ने यह पाया हो कि आवेदक के द्वारा असत्य एवं गलत तथ्यों के आधार अथवा फर्जी तरीके से अनुसूचित जाति/जन जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है, एवं

4. ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें यह शिकायत की गई हो कि असत्य या गलत तथ्यों के आधार पर अथवा फर्जी तरीके से अनुसूचित जाति/जन जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर आरक्षण की सुविधा प्राप्त कर ली गई है जिसके लिये वास्तव में पात्रता न थी।


5. ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें 15 वर्ष या उससे अधिक आयु (पहुंने) के बाद दत्तक पुत्र/पु बनाने की कार्यवाही के आधार पर प्रमाण पत्र चाह रहा /रही हो।

6. यदि किसी ऐसे प्रकरण में जिनमें विशिष्ट अनुसूचित जाति/जन जाति के लिये चाहे गये प्रमाण-पत्र के संबंध में यह विनिश्चय किया जाना हो कि कोई जाति/उप जाति संविधान आदेश, 1950 के अधीन अनुसूचित जाति/जन जाति मानी जाय अथवा नहीं, ऐसी जाति अनुसूचित क्षेत्र के विनिर्दिष्ट है।

7. समिति की बैठक :

क). समिति प्रत्येक तीन माह <sup>में</sup> कम से कम एक बार बैठक करेगी।

ख) बैठक की तिथि एवं स्थान/समय का निर्धारण अध्यक्ष की अनुमति से की जाएगी, जिससे सदस्य सचिव सभी सदस्यों को सूचित करेंगे।

  
(स्वर्णादित्य सहाय)  
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 7/ज्ञा.स.प.-17-014/2003 का. 3630/ रांची, दिनांक 8 जुलाई, 2004

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, रांची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसे झारखण्ड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कराया जाय।

  
सरकार के उप सचिव।


ज्ञापांक 7/ज्ञा.स.प.-17-014/2003 का. 3630/ रांची, दिनांक 8 जुलाई, 2004

प्रतिलिपि :- सभी विभाग के आयुक्त एवं सचिव/सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, रांची/झारखण्ड विधान सभा सचिवालय/उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 7/ज्ञा.स.प.-17-014/2003 का. 3630/ रांची, दिनांक 8 जुलाई, 2004

प्रतिलिपि :- सदस्य अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जन जाति आयोग, लोदी रोड, नई दिल्ली को उनके अर्धसरकारी पत्रांक - SAST/SKK/JHARKHAND दिनांक 11.11.2003 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

  
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 7/ज्ञा.स.प.-17-014/2003 का. 3630/ रांची, दिनांक 8 जुलाई, 2004

प्रतिलिपि :- सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसकी सूचना सभी बैंक शाखाओं को दी जाय।

  
सरकार के उप सचिव।